उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग – 1
संख्या 4522/9–आ–1–01–2 आईडीएसएमटी/80
लखनऊ : दिनांक 24 सितम्बर, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के एकीकृत नगर विकास की योजना की, जो केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है, के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने, विभिन्न शासकीय विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का समन्वय करने, योजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण करने, प्रगति समीक्षा तथा मूल्यांकन करने के उद्देश्य से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–795/37–1–2 आईडीएसएमटी/80, दिनांक 24 मार्च, 1981 एवं तद्विषयक संशोधन सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या–461/37–1–89–45 बैठक/86, दिनांक–25.1.89 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–3148/37–1–89–45 बैठक/86, दिनांक 7.09.89 को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. जिलाधिकारी। अध्यक्ष

2. संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष या प्रशासक या प्रभारी अधिकारी सदस्य

3. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का अधिकारी जिनको मुख्य सदस्य नगर एवं ग्राम नियोजक नामांकित करेंगे।

4. अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सदस्य जहां अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।

5. अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, जहां सदस्य अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।

6. अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 राज्य विद्युत निगम, सदस्य जहां अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।

7. अधीक्षण अभियंता, आवास एवं विकास परिषद्, जहां अधीक्षण सदस्य अभियंता/अधिशासी अभियन्ता न हों तो उक्त विभाग के जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाये।

8. नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी। सदस्य

9. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का स्थानीय अधिकारी (अगर स्थानीय अधिकारी की सदस्य सचिव नियुक्ति नगर स्तर पर न हो तो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा नामित अधिकारी)।

2 यह समिति आवश्यकतानुसार किसी अन्य विभाग, निगम अथवा परिषद के किसी भी अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित कर सकती है।

3. उक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी।

4. परियोजनाओं का कार्यान्वयन सम्बन्धित नगर पालिका द्वारा ही स्थापित होगा किन्तु समस्त योजनायें इस समिति द्वारा जांचने तथा अनुमोदित करने के बाद ही लागू की जायेंगी।

5. इस समिति का कार्य समन्वय के साथ–साथ नगर पालिकाओं को मार्गदर्शन देना एवं जो योजनायें लागू की जा रही हैं उनके समयानुसार कार्यान्वयन हेतु प्रभावी तरीके से नियंत्रक तथा अनुश्रवण करना, प्रगति की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और प्राथमिकताओं का निर्धारण होगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या – 4522(1)/9–आ–1–01 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
2. सम्बन्धित नगर पालिका।
3. अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रमुख अभियंता, लो0 नि0 वि0 उ0प्र0, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियंता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
8. उपसचिव, निर्माण एवं आवास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।

आज्ञा से,

टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव